period ignoring Government directives on the subject and not revoking the suspension order even after initiation of enquiry proceedings;

(c) whether it is a fact that the Institute has engaged a retired Government official to conduct the enquiry in some cases;

(d) if so, the date of his engagement and progress made so far in each case;

(e) whether it is also a fact that the said enquiry officer holds the enquiry only on holidays with long intervals; and

(f) if so, what are the reasons therefor and the remedial steps taken by Government to avoid undue hardship to the suspended officials and loss to the organisation by paying the suspended official without their doing any work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI ARANGIL SREEDHARAN): (a) 1 (One).

(b) Suspension continues on account of the charged officials' non-cooperative attitude in completing the enquiry. He filed a suit for declaration & injunction in the court against the enquiry in 1985. For some intervening period, the court had stayed the enquiry. Even after vacation of the injunction in May, 1988, the enquiry could not proceed because the charged officer has been obstructing the enquiry proceedings on one pretext or the other including allegations of bias against almost all persons connected with the enquiry because of which enquiry officer had to be changed three times.

(c) and (d) Yes, Sir. To meet the allegation of bias, a retired officer (formerly Under Secretary, Vigilance in Government of India) was appointed as Enquiry Officer on 4-11-1988. The Enquiry Oficer has conducted 23 hearings so far.

(e) and (f) The proceedings have been convened by the Enquiry Officer on a weekly basis on a mutually agreed day, Saturday, with prior intimation to the charged official, Defence Assistant and Presenting Officer mainly with a view to expediting the enquiry. The Government is keen to complete the enquiry early but due to the non-cooperative attitude of the charged officer, the enquiry has been delayed.

सीमा शुल्क सदनों से खरीद

979. **डा० अबरार अहमद खान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क सदनों के गोदामों से सामान की खरीद कर सकने वाले व्यक्तियों तथा उनके द्वारा पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं और उन व्यक्तियों की श्रेणियों के संबंध में, जो छूट के पात्र हैं तथा उनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली छूट के स्वरूप के संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क की दुकानों से कुछ अधिकारियों को कुछ हथियार बेचे गए हैं; यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उन्हें किस-किस प्रकार के हथियार किन-किन मूल्यों पर बेचे गए ;

(ग) इस समय सीमा शुल्क की दुकानों पर उपलब्ध हथियारों के नाम क्या हैं तथा वे संसद सदस्यों को किस मूल्य पर बेचे जाते हैं तथा सरकार को ये हथियार किस लागत पर उपलब्ध होते हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क की दुकानों में संसद-सदस्य के लिए एक साधारण रिवाल्वर का बिक्री-मूल्य रु० 40,000 है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) अभिगृहीत/

जब्तशुदा माल को सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के माध्यम से वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने के लिए अनुमोदित सहकारी समितियों और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम/राज्य सहकारी संघ को थोक मात्रा में बेचा जाता है । ऐसे माल की बिक्री के लिए सैनिक/पुलिस/अर्ध-सैनिक कैन्टीनों को भी पेशकश की जाती है । थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऐसे माल की बिक्री सीमाशुल्क की खुदरा दुकानों के माध्यम से वास्तविक उपभोक्ताओं को "पहले आओ और पहले पाओ" के आधार पर खुदरा रूप में की जाती है । ऐसा माल संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचा जाता है जो माल के बाजार मूल्य सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखती है । तत्पश्चात् राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को 14 1/2% की छूट दी जाती है और अन्य सहकारी समितियों को 10% की छूट दी जाती है । अलग-अलग ग्राहकों को कोई छूट नहीं दी जाती है ।

(ख) से (घ) अक्तूबर, 1987 से अनिषेधात्मक बोर के जब्तशुदा हथियारों (बैपन्ज) को विभागीय अधिकारियों तथा अन्य को न बेचकर इन्हें विभागीय प्रयोग के लिए रख लिया जाता है । तथापि, यदि कोई हथियार बच जाता है तो उसको अनुरोध प्राप्त होने पर केवल संसद सदस्यों को बेचा जाता है । जबकि प्रारंभ में ऐसे हथियारों का बिक्री मूल्य, बाजार मूल्य होता था जिसपर 5% की छूट उपलब्ध थी, परन्तु अप्रैल, 1990 से ऐसे हथियार लागत, बीमा तथा भाड़ा मूल्य जमा उस मूल्य का 250% की दर से बेचे जा रहे हैं ।

रतलाम में "स्टील स्क्रैप यार्ड" की स्थापना किया जाना

980. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रतलाम में एक स्टील स्क्रैप यार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में इस्पात संयंत्रों का स्थापित किया जाना

981. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की हाल ही में हुई एक बठक में यह स्वीकार किया गया है कि मध्य प्रदेश में तीन और इस्पात संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन संयंत्रों को गैस पर आधारित ऊर्जा से चलाया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Permission to Financial institutions to sell property of M/s. Mackinnon Mackenzie and Company Limited

982. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have permitted the financial institutions who have their shares and financial interest in the Mackinnon Mackenzie and Company Limited to